

:: मूल वाद में डिकी ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा.दी.)

राजस्व लोक अदालत कैम्प रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी:- सुनिता यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :-86/2015 राजस्व वाद

आदपत्र अन्तर्गत धारा 53-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री रामपाल पिता लालू माली, उम्र बालिग निवासी हर्नियाखेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) -----वादी

बनाम

श्री अमरचन्द्र पिता कल्याण माली, उम्र बालिग निवासी हर्नियाखेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बड़ा महुआ जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक।

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

-----प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री - एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1 की

ओर से श्री - एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 11.6.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और की की जाती है कि - और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि ज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा शे - को दी जायें।

न्याय हित में प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम हर्नियाखेड़ा पटवार हल्का रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित निम्नांकित राजियात विभाजन व हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उसी अनुसार भूमि विभाजन व हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

श्री रामपाल पिता लालू माली, उम्र बालिग निवासी हर्नियाखेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) वादी के नाम निम्न भूमि हक व हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
1509 मे से	1 बीघा	-
1510	2 बीघा	14 बिस्वा
कुल किता 2 रकबा	3 बीघा	14 बिस्वा लगान

श्री अमरचन्द्र पिता कल्याण माली, उम्र बालिग निवासी हर्नियाखेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) प्रतिवादी संख्या 1 के नाम निम्न भूमि हक व हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर रकबा लगान

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

1506	-	12 बिस्वा	-
1507	-	07 बिस्वा	-
1508	1 बीघा	14 बिस्वा	-
1509	1 बीघा	01 बिस्वा	-
<hr/>			
कुल किता 4	रकबा 3 बीघा	14 बिस्वा	लगान -

न:-बी.आर.जी. बी. बड़ामहुआ के नाम रहन रहेगी।

-वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम निम्न भूमि संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज की दें।

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
1508	-	02 बिस्वा
1509	-	02 बिस्वा
1510	-	02 बिस्वा
<hr/>		
कुल किता 3	रकबा -	06 बिस्वा
		लगान -

उक्तानुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में की जावें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

(सुनिता यादव)

आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 11.6..2018 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी

गयी ।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा